कार्यालयः— वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़।

(रांची रोड नियर बी.आर.एल. गेट, पो0—मरार, जिला—रामगढ़ पिन—829117)

Email id – dfo-ramgarh@gov.in, Landline- 06553-296061, Mobile No-8987790306

पत्रांकः— 607 दिनांकः— 01/03/2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

विषय :— **आलोक स्टील इंडस्ट्रीज के प्लांट हेतु 9.27 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में वांछित अतिरिक्त सूचना के संबंध में।**

प्रसंगः—
1. उप वन महानिरीक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची का पत्रांक— **FP/JH/ENCRCH/39652/2019/724 dated 02.12.2024**
2. **प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—एफ0सी0 नोडल, झारखण्ड, रांची का ज्ञापांक— 37 दिनांक 09.01.2025 एवं पत्रांक—176 दिनांक 28.02.2025**
3. **भवदीय का ज्ञापांक— 71 दिनांक 20.01.2025**

महाशय,

भवदीय को सूचित करना है कि पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक— 1723 दिनांक 04.09.2024 के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया था। पुनः क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई पृच्छा का उत्तर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जा रहा हैः—

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई पृच्छा	वन प्रमंडल पदाधिकारी का मंतव्य
''वन प्रमंडल पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन तथा पत्रांक—890 दिनांक 20.08.2024 (क्रमशः) से संबंधित गैर मजरूआ जंगल—झाड़ी किस्म जंगल भूमि का पूर्व से ही दाखिल—खारिज के आधार पर जमाबंदी कायम होना एवं लगान रसीद निर्गत होना बताया गया है किन्तु इसके सापेक्ष किसी प्रकार का साक्ष्य—दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे यह स्थापित किया जा सके कि संदर्भित वन भूमि 1980 से पूर्व (वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्थल— प्रतिवेदनानुसार 1940—60 के मध्य) कृषि कार्यो हेतु बंदोबस्तित किया जा चुका था''	उपायुक्त, रामगढ़ ने अपने पत्रांक 165/रा0 दिनांक 01.02.2025 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह— नोडल पदाधिकारी (एफ0सी0) को अपना पक्ष सीधे प्रेषित किया है, जिसकी प्रति संलग्न की जा रही है **(बंडल—01)**। उक्त उत्तर से उद्धृत पद्यांश, ''पंजी—II के भोल्यूम संख्या—01 वर्ष 1984—85 से संबंधित है, जिसके कैफियत कॉलम में प्रथम रसीद संख्या—549032 दिनांक 21.01.1955, रसीद संख्या— 291122 दिनांक 27.12.1955 एवं रसीद संख्या—886455 दिनांक 04.09.1954 इत्यादि दर्ज है'' **जो दर्शाता है कि अधिकत्तर प्रथम रसीद 1940—60 के बीच में निर्गत है।** जिसका सार प्रपत्र—1 में उपायुक्त के उत्तर में संलग्न है। **उपलब्ध पंजी—II जिसमें 1984—85 से रिकार्ड उपलब्ध कराया गया है, 1996 से पूर्व का है।** संबंधित केवाला में भी बंदोवस्त वर्ष अंकित है, जो कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया है और जिसका सार प्रथम 03 पृष्ठों में दिया गया है **(बंडल—2)**।

अनुलग्नकः— 08 प्रतियों में।

आपका विश्वासी,

Nitish
01/3/25

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रामगढ़।

D:\Mukesh Mishra\Shashi Dubey\FC Act\FC Act Letter\FC Act Misc. Letter- From 04.01.2025.Docx

O/C